-सदस्य

HRA ANGUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2386

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2011/अग्रहायण 30, 1933

No. 2386

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2011/AGRAHAYANA 30, 1933

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2011

का.आ. 2843(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अविध के लिए प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :—

- प्रधान सचिव, अध्यक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार, केरल ।
- प्रधान सचिव, सदस्य स्थानीय नगर शासन, केरल सरकार या उसका नामनिर्देशिती
- सचिव, सदस्य पर्यावरण विभाग, करेल सरकार, या उसका नामनिर्देशिती
- प्रधान सचिव, सदस्य औद्योगिक विभाग, केरल सरकार या उसका नामनिर्देशिती
- प्रधान सचिव, सदस्य राजस्व विभाग, केरल सरकार या उसका नामनिर्देशिती

- सचिव, मत्स्य विभाग, केरल सरकार या उसका नामनिर्देशिती
- अध्यक्ष, सदस्य केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केरल सरकार या उसका नामनिर्देशिती
- 8. निदेशक, —सदस्य पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवंनतपुरम ।
- डॉ. के. पदमाकुमार, प्रोफेसर, सदस्य जलीय जीव विज्ञान, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनतपुरम
- 10. डॉ. ए. रामचन्द्रन, प्रोफेसर और निदेशक, —सदस्य औद्योगिक मत्स्य पालन, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि, केरल ।
- श्री बेबी जॉन, सदस्य मालाबार प्रशिक्षण अनुसंधान और क्रियाकलाप तटीय संस्थान (एमसी-आईटीआरए), एम. कानरन रोड, कोझीकोड, केरल।
- 12. सदस्य-सचिव, सदस्य-सचिव केरल विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण राज्य परिषद्, केरल,
- !!. प्राधिकरण को केरल राज्य के क्षेत्रों में समुद्र तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए नियंत्रण करने के लिए

तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 को क्रियान्वित और प्रवर्तित करने की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में और तटीय विनियम जोन अधिसूचना के अनुपालन में परियोजना का परीक्षण करेगा और पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर अपनी सिफारिशें करेगा:
 - (क) यथास्थिति पर्यावरण और वन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाधान अवधारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् रापसअप्र कहा गया है) पर्यावरण समाघात अवधारण अधिसूचना, 2006 को प्रभावित परियोजना के लिए करेगा:
 - (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण समाधात अवधारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत नहीं आने वाली परियोजनाओं को किन्तु पर्यावरण विनियम जोन अधिसूचना के पैरा 4 के उप-पैरा (ii) में विनिर्दिष्ट करते हों, करेगा;
 - (ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत नहीं आने वाली परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य प्राधिकरण को करेगा।
- (ii) राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या संबद्ध तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ऐसे अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के ढांचे के भीतर यथास्थिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसरण में इस अधिसूचना में सूचीबद्ध सभी विभागीय क्रियाकलापों को विनियमित करने वाले इस अधिसूचना के अनुसरण में होंगे ।
- (iii) राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र या तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के इस अधिसूचना के प्रवर्तन और मानीटिरी के लिए प्रारंभिक रूप से उत्तरदायी होंगे और इस लक्ष्य, में स्थानीय पारंपरिक तटीय समुदायों के तीन प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत मछुआरा समुदाय भी है, संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता के अधीन जिला स्तर समितियां राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र गठित करेगी।
- (iv) केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन और तटीय जोन प्रबंध योजना के लिए वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए प्रस्तावों की परीक्षा करेगी और विशिष्ट सिफारिशों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगी 1
- (v) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या कोई अन्य विधि जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हैं, के उपबंधों के अभिकथित उल्लघंन के मामलों में जांच, और किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जहां तक ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय

जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किसी निदेश से असंगत नहीं है जारी करना;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या कोई अन्य विधि जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के उपबंधों के उल्लंघन को अंतर्विलत करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन, और आवश्यक पाए जाने पर ऐसे मामलों को टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के पुनर्विलोकन के लिए निर्दिष्ट करना:

परन्तु पैरा (2) के उप-पैरा (i) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले या तो स्वतः ही लिए जा सकेंगे या किसी व्यष्टि, अथवा किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर लिए जा सकेंगे।

- (vi) इस आदेश के पैरा (II) के उप पैरा (i) और (ii) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना 1
- (vii) इस आदेश के पैरा (2) के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवाद्यकों को निपटाएगा जो उसे केरल की राज्य सरकार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकेंगे।

IV. तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत, किए गए विनिश्चय, अनापत्ति पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों पर कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश सम्मिलित हैं तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी डालेगा।

V. प्राधिकरण छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा।

VI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी।

VII. प्राधिकरण का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में होगा ।

VIII. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विशिष्ट रूप से नहीं आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

> [फा. सं. जे~17011/26/2007-आईए-III (भाग)] डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

---Chairman

-Member

-Member

---Member

-Member

---Member

—Member

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS ORDER

New Delhi, the 20th December, 2011

S.O. 2843(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Kerala Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:—

- Principal Secretary,
 Science and Technology
 Department, Government
 of Kerala, Kerala.
- Principal Secretary, Local Self Government, Government of Kerala or his nominee.
- Secretary, Environment Department, Government of Kerala or his nominee.
- Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala or his nominee.
- Principal Secretary, Revenue Department, Government of Kerala or his nominee.
- Secretary,
 Fisheries Department,
 Government of Kerala or his nominee.
- Chairman,
 Kerala State Pollution Control Member
 Board, Government of Kerala.
- Director,
 Centre for Earth Science Studies, —Member
 Thiruvananthapuram.
- 9. Dr. K. Padmakumar, Professor, —Member Aqatic Biology, University of Kerala, Thiruvananthapuram
- Dr. A. Ramachandran, Professor Member and Director Industrial Fisheries, Cochin University of Science And Technology, Kochi, Kerala

- 11. Sri Baby John,
 Malabar Coastal Institute for
 Training Research and Action
 (MCITRA), M. Kanaran Road,
 Kozhikode, Kerala
- Member Secretary, Member-Secretary Kerala State Council for Science, Technology and Environment, Kerala.
- II. The Authority shall have the power to implement and enforce the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Kerala, namely:—
 - (i) The Coastal Zone Management Authority shall examine the project proposals in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and in compliance with Coastal Regulation Zone notification and make recommendations within a period of sixty days from date of receipt of complete application;
 - (a) to the Ministry of Environment and Forests or State Environmental Impact Assessment Authority (hereinafter referred to as the SEIAA) as the case may be, for the project attracting Environmental Impact Assessment notification, 2006;
 - (b) to the Ministry of Environment and Forests for the projects not covered in the Environmental Impact Assessment notification, 2006 but attracting the provisions specified in Sub-paras (ii) of para 4 of the Coastal Regulation Zone notification;
 - (c) to the concerned State Authority for the projects not covered under (a) and (b) above.
 - (ii) The State Government, Union Territory Administration, the local authority or the concerned Coastal Zone Management Authority within the framework of such approved Coastal Zone Management Plans, as the case may be in accordance with provisions of this notification shall regulate all developmental activities listed in this notification.
 - (iii) The State Government or the Union Territory of Coastal Zone Management Authorities shall primarily be responsible for enforcing and monitoring of this notification and to assist in this task, the State Government and the Union

- Territory shall constitute District Level Committees under the Chairmanship of the District Magistrate concerned containing at least three representatives of local traditional coastal communities including from fisher folk.
- (iv) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Kerala State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore.
- (v) (a) Inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
 - (b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comment, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (iv) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo moto, or on the basis of complaint made by an individual, or an representative body, or an organization.

- (vi) Filing complaints, under Section 19 of the said
 Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs
 (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- (vii) To take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i), and (ii) of paragraph II of this Order.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Kerala, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. To maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Authorities it shall be the responsibility of the Coastal Zone Management Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of the respective State Government or Union Territory.

V. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

VI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

VII. The Authority shall have its headquarters at Thiruvananthapuram.

VIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/26/2007-IA-III (Pt.)] Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'